बिहार सरकार
नगर विकास एंव आवास विभाग

।। अधिसूचना ।।

संख्या: 3/UIG-रिफॉर्म्स 10/2012- 1251 पटना, दिनांक - 12-7-13

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 128 एवं 228 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्र में घर–घर प्रभार संग्रह के लिए शुल्क एवं दण्ड निर्धारित करने का प्रावधान है।

उक्त प्रावधान के आलोक में नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता शुल्क निर्धारित किया जाता है। नगरपालिका अपने–अपने क्षेत्रों में निम्नांकित दर से शुल्क की उगाही कर सकेगी:–

	उपभोक्ता की श्रेणी	न्यूनतम मासिक शुल्क (रुपये में)		
		नगर निगम	नगर परिषद	नगर पंचायत
(क)	**आवासीय**			
i	आवासीय घर	30=00	25=00	20=00
ii	मलिन एवं गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के आवास	शून्य	शून्य	शून्य
(ख)	**गैर आवासीय**			
i	फूटपाथी दुकान	शून्य	शून्य	शून्य
ii	दुकान, खानपान के स्थान (ढाबा/मिठाई की दुकान/कॉफ़ी हाउस इत्यादि)	100=00	75=00	50=00
iii	रेस्टुरेंट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होस्टल	500=00	250=00	150=00
iv	सितारा होटल या उसके समतुल्य होटल	5000=00	5000=00	5000=00
v	व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, शैक्षणिक संस्थान	500=00	250=00	150=00
(ग)	**स्वास्थ्य सेवा संस्थान, (केवल गैर बायो -मेडिकल वेस्ट)**			
i	क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरीज	250=00	150=00	100=00
ii	अस्पताल (50 शय्या तक)	1500=00	1200=00	1000=00
iii	अस्पताल (50 शय्या से अधिक)	3000	2000	1500
(घ)	**अन्य**			
i	धार्मिक स्थल	शून्य	शून्य	शून्य
ii	निगम क्षेत्र में स्थित लघु और कुटीर उद्योग, वर्कशॉप (केवल गैर खतरनाक) अवशिष्ठ 10 कि. ग्रा. प्रतिदिन	आकलन के अनुसार		
		500=00	300=00	200=00
iii	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर खतरनाक) अवशिष्ठ	1000=00	750=00	500=00

iv	शादी हॉल, उत्सव हॉल प्रदर्शनी एवं मेला	2500=00	1500=00	1000=00
v	अन्य, जो ऊपर चिन्हित नहीं हैं	नगरपालिका के आकलन के अनुसार		

2. सड़क के किनारे अवशिष्ठ / कचरा जमा करने पर निम्नवत जुर्माना देय होगा:-

(i) आवासीय मकानों से – रूपये 100 प्रति घटना ।

(ii) भवन निर्माण सामग्री / मलवा सड़क किनारे रखने पर– रुपया 1000/ प्रति घटना एवं मलवा हटाने का वास्तविक व्यय।

(iii) जुर्माना जमा नहीं करने पर 15% की दर से अतिरिक्त ब्याज वसूलनीय होगा।

(iv) सभी प्रभार / शुल्क / दण्ड सम्पति कर के बकाया के रूप में वसूलनीय होगा।

3. प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–

(जय सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार

ज्ञापांक - 3/UIG-रिफॉर्म्स 10/2012- / दिनांक –

प्रतिलिपि –वित् विभाग, इ गजट कोषांग, बिहार पटना को सी॰डी॰ के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है की वे कृपया मुद्रित गजट की २०० प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार

ज्ञापांक - 3/UIG-रिफॉर्म्स 10/2012- 1251 / दिनांक – 12. 7-13

प्रतिलिपि –मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री–सह–प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, मगध, भागलपुर, तिरहुत, सारण, मुंगेर, कोशी, दरभंगा और पूर्णियां प्रमंडल / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद/सभी नगर आयुक्त/सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार

(700)